

1

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 310 / 2013 ईफौ

न्यायालय- प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक 310 / 2013

संस्थापित दिनांक 11 / 06 / 2013

फाईलिंग नम्बर 230303003472013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-
गोहद चौराहा, जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियोजन

बनाम

1. बिष्णु कुमार पुत्र श्रीरामनाथ सिंह तोमर उम्र 50 वर्ष
निवासी-ग्राम चंदोखर, हाल न्यू कॉलोनी गोहद, भिण्ड, म0प्र0

..... अभियुक्त

(अपराध अंतर्गत धारा-304 ए भा0द0सं0)
(राज्य द्वारा एडीपीओ-श्री प्रवीण सिकरवार।)
(आरोपी द्वारा अधिवक्ता-श्री योगेन्द्र श्रीवास्तव।)

::- निर्णय :-

(आज दिनांक 15.05.2017 को घोषित)

आरोपी पर दिनांक 17.05.13 को शाम 04:00 सुखराम बंजारे के घर के पास ग्राम बंजारे के पुरा में भिण्ड ग्वालियर हाईवे पर लोक मार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन वैगनार क्रमांक एमपी 07 सीबी 1158 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाते हुए नेतराम में टक्कर मारकर उसे चोट पहुंचाकर उसकी आपराधिक मानववध की श्रेणी में न आने वाली मृत्यु कारित करने हेतु भा0दं0सं0 की धारा 304 ए के अंतर्गत अपराध विवरण निर्मित किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 17.05.2013 को शाम करीबन 4 बजे फरियादी घनश्याम सिंह महेन्द्र के घर के सामने बैठा था। पास में ही सुखराम के घर के पास बबूल के पेड़ के नीचे नेतराम बैठा था तभी एक वैगनार क्रमांक एमपी 07 सीबी 1158 का

चालक गाड़ी को भिण्ड की तरफ से तेजी एवं लापरवाही से चलाकर लाया था एवं नेतराम में टक्कर मार दी, जिससे नेतराम के दोनों पैरों सिर एवं शरीर में गंभीर चोटें आई थीं। वे लोग उसे अस्पताल लेकर गए थे, जहां डॉ० ने नेतराम को मृत घोषित कर दिया था। मौके पर राकेश एवं परमाल भी थे। उन्होंने घटना देखी थी। फरियादी घनश्याम की सूचना पर मौके पर अपराध क्रमांक 00/13 पर देहाती नालसी लेखबद्ध की गई थी। तत्पश्चात् पुलिस थाना गोहद चौराहे में अपराध क्रमांक 120/13 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया था। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं विवेचनापूर्ण होने पर अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

3. उक्त अनुसार मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध विवरण निर्मित किया गया। आरोपी को अपराध की विशिष्टता पढ़कर सुनाई व समझाई जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया।

4. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुआ है :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक 17.05.13 को शाम 04:00 सुखराम बंजारे के घर के पास ग्राम बंजारे के पुरा में भिण्ड ग्वालियर हाईवे पर लोक मार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन वैगनार क्रमांक एमपी 07 सीबी 1158 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर नेतराम में टक्कर मारकर उसे चोट पहुंचाकर उसकी आपराधिक मानववध की श्रेणी में न आने वाली मृत्यु कारित की?

6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादी घनश्याम अ०सा० 1, परमाल अ०सा० 2, अंतराम अ०सा० 3, ब्रजमोहन अ०सा० 4, डॉ० आलोक शर्मा अ०सा० 5, श्रीमती सुनीता अ०सा० 6, राकेश अ०सा० 7, प्रधान आरक्षक ब्रजराज सिंह अ०सा० 8, विकास तोमर अ०सा० 9, सेवा निवृत्त आरक्षक रामकरन शर्मा अ०सा० 10 तथा भंवर सिंह अ०सा० 11 को परीक्षित किया गया है जबकि आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी घनश्याम अ०सा० 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग 3-4 साल

पहले की है। मृतक नेतराम उसके गांव का है। उसे जानकारी नहीं है कि क्या घटना हुई थी। देहाती नालसी प्र०पी० 1 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शामौका प्र०पी० 2 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने नक्शामौका उसके सामने नहीं बनाया था। प्र०पी० 3 के सफीना फॉर्म एवं प्र०पी० 4 के नक्शा लाश पंचायतनामा पर क्रमशः उसके ए से ए भाग पर हस्ताक्षर हैं लेकिन उक्त कार्यवाही पुलिस ने उसके सामने नहीं की थी। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि गाड़ी क्रमांक एमपी 07 सीबी 1158 के चालक ने गाड़ी को तेजी व लापरवाही से चलाकर नेतराम में टक्कर मार दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई।

08. साक्षी परमाल सिंह अ०सा० 2 ने भी अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह हाजिर अदालत आरोपी विष्णु को नहीं जानता। घटना उसके न्यायालयीन कथन से 3-4 साल पहले की है। वह मौके पर नहीं था। उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सफीना फॉर्म प्र०पी० 3 एवं लाशपंचायत नामा प्र०पी० 4 पर क्रमशः ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं लेकिन पुलिस ने उसके सामने कार्यवाही नहीं की थी। ब्रजमोहन अ०सा० 4, श्रीमती सुनीता अ०सा० 6, राकेश अ०सा० 7 ने भी अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं घटना के समय मौके पर मौजूद न होना तथा घटना के बारे में कोई जानकारी न होना बताया है। उक्त सभी साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्षविरोध घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त सभी साक्षीगण ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया है।

09. अंतराम अ०सा० 3 ने अपने कथन में यह बताया है कि वह आरोपी विष्णु को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग एक डेढ़ साल पहले की शाम के 4 बजे की है। नेतराम एक्सीडेंट में खत्म हो गया था। भिण्ड की तरफ से एक कार आ रही थी। वह गाड़ी का नम्बर नहीं जानता क्योंकि वह पढ़ा लिखा नहीं है। गाड़ी का चालक गाड़ी को बहुत स्पीड से चला रहा था एवं बंजारे के पुरा पर सुखराम की दुकान के सामने चबूतरा पर नेतराम बैठा था। गाड़ी का चालक बहक गया था चालक ने सीधे आकर नेतराम में टक्कर मार दी थी, जिससे नेतराम खत्म हो गया था। कार को विष्णु चला रहा था वह विष्णु को जानता है। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 4 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि वह हाजिर अदालत आरोपी विष्णु को जानता है।

10. साक्षी भंवर सिंह अ०सा० 11 ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह आरोपी विष्णु को नहीं जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से दो साल पहले की है। नेतराम की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। नेतराम का एक्सीडेंट कैसे हुआ उसे जानकारी नहीं है। उसने एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखा था वह एक्सीडेंट के बाद मौके पर पहुंचा था। नेतराम का एक्सीडेंट सफेद रंग की मार्शल से हुआ था। मार्शल का नम्बर क्या था मार्शल को कौन चला रहा था वह नहीं बता सकता। जब वह मौके पर पहुंचा तो कई आदमी पहुंच गए थे। मृत्यु जांच प्र०पी० 3 एवं नक्शा लाश पंचायत नामा प्र०पी० 4 के क्रमशः डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया है। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 3 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि हाजिर अदालत आरोपी द्वारा घटना कारित नहीं की गई है।

11. साक्षी विकास तोमर अ0सा0 9 द्वारा अपने कथन में व्यक्त किया गया है कि वह आरोपी विष्णु को जानता है। विष्णु उसके पिता हैं। वर्ष 2013 में उसके पास वैगनार क्रमांक एमपी 07 सीबी 1158 थी। उक्त गाड़ी चंदोखर में रहती थी। उक्त गाड़ी को वह लोग चलाते थे। वह नहीं बता सकता कि दिनांक 17.05.13 को उसकी गाड़ी वैगनार क्रमांक एमपी 07 सीबी 1158 को कौन चला रहा था। उसने पुलिस को प्र0पी0 13 का प्रमाणीकरण दिया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इसके तुरंत पश्चात ही उक्त साक्षी ने यह भी बताया है कि पुलिस वालों ने उससे हस्ताक्षर करा लिए थे। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपित वाहन क्रमांक एमपी 07 सीबी 1158 को उसके पिता विष्णु कुमार अपने निजी कार्य से भिण्ड ले गए थे एवं इस सुझाव से भी इंकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपित कार को उसके पिता विष्णु चला रहे थे। उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसके पिता ने आरोपित वाहन क्रमांक एमपी 07 सीबी 1158 को लापरवाही से चलाकर एक्सीडेंट कर दिया था। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 3 में उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि प्र0पी0 13 का प्रमाणीकरण उसने नहीं दिया था। उससे कोरे कागज पर हस्ताक्षर करा लिए थे।

12. डॉ0 आलोक शर्मा अ0सा0 5 द्वारा मृतक नेतराम की शव परीक्षण रिपोर्ट प्र0पी0 8 को प्रमाणित किया गया है। सेवा निवृत्त आरक्षक रामकरन शर्मा अ0सा0 10 ने आरोपित वाहन क्रमांक एमपी 07 सीबी 1158 की मेकेनिकल जांच रिपोर्ट प्र0पी0 14 को प्रमाणित किया है एवं प्रधान आरक्षक ब्रजराज सिंह अ0सा0 8 ने प्र0पी0 1 की देहाती नालसी को प्रमाणित किया है एवं विवेचना को प्रमाणित किया है।

13. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

14. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी घनश्याम सिंह अ0सा0 1 ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह हजिर अदालत आरोपी विष्णु को नहीं जानता है। घटना के समय वह मौके पर मौजूद नहीं था। उसे जानकारी नहीं है कि क्या घटना हुई थी। देहाती नालसी प्र0पी0 1 एवं नक्शा मौका प्र0पी0 2 एवं सफीना फॉर्म प्र0पी0 3 एवं नक्शा लाश पंचायत नामा प्र0पी0 4 के क्रमशः ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं लेकिन उसने पुलिस में कोई रिपोर्ट नहीं की थी। पुलिस ने उसके सामने कोई कार्यवाही नहीं की। उक्त साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि वैगनार क्रमांक एमपी 07 सीबी 1158 के चालक ने गाड़ी को तेजी व लापरवाही से चलाकर नेतराम में टक्कर मार दी थी, जिससे नेतराम की मृत्यु हो गई थी।

15. इस प्रकार घनश्याम अ0सा0 1 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं घटना के समय मौके पर न होना बताया है। उक्त साक्षी ने प्र0पी0 1 की देहाती नालसी लेखबद्ध कराने से भी इंकार किया है। उक्त साक्षी द्वारा प्र0पी0 1 की देहाती नालसी पर मात्र अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर उक्त साक्षी द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया एवं आरोपी के विरुद्ध

कोई कथन नहीं दिया है। अतः उक्त साक्षी के कथनों से अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती।

16. साक्षी परमलाल सिंह अ0सा0 2 ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह आरोपी विष्णु को नहीं जानता है तथा वह घटना के समय मौके पर नहीं था। उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी ने भी मात्र सफीना फॉर्म प्र0पी0 3 एवं लाशपंचायत नामा प्र0पी0 4 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोध घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया है। अतः उक्त साक्षी के कथनों से भी अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती।

17. साक्षी ब्रजमोहन अ0सा0 4 ने भी घटना के बारे में कोई जानकारी न होना बताया है। साक्षी सुनीता अ0सा0 6 जो कि मृतक नेतराम की पत्नी है ने भी अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं व्यक्त किया है वह आरोपी विष्णु को नहीं जानती है वह घटना के समय मौके पर मौजूद नहीं थी। साक्षी राकेश अ0सा0 7 द्वारा भी अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं व्यक्त किया गया है कि वह विष्णु को नहीं जानता है। उक्त सभी साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर भी उक्त सभी साक्षीगण ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया है। अतः उक्त साक्षीगण के कथनों से अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

18. साक्षी भंवर सिंह अ0सा0 11 ने अपने कथन में नेतराम की एक्सीडेंट में मृत्यु होना तो बताया है, परंतु यह भी व्यक्त किया है कि नेतराम की एक्सीडेंट कैसे हुआ था उसे जानकारी नहीं है उसने घटना होते हुए नहीं देखी थी। नेतराम का एक्सीडेंट उसके घर के सामने हुआ था तथा नेतराम का एक्सीडेंट सफेद रंग की मार्शल से हुआ था। मार्शल कौन चला रहा था वह नहीं बता सकता। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपित वाहन क्रमांक एमपी 07 सीबी 1158 को तेजी व लापरवाही से चलाकर नेतराम में टक्कर मार दी थी। इस प्रकार भंवर सिंह अ0सा0 11 के कथनों से भी यह दर्शित होता है कि उक्त साक्षी द्वारा भी अभियोजन घटना को कोई समर्थन नहीं किया गया है एवं व्यक्त किया गया है कि उसके सामने एक्सीडेंट नहीं हुआ था। उसने एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखा था। उक्त साक्षी द्वारा भी आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। उक्त साक्षी के कथनों से भी अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती।

19. जहां तक साक्षी अंतराम अ0सा0 3 के कथन का प्रश्न है तो अंतराम अ0सा0 3 ने अपने कथन में यह बताया है कि वह आरोपी विष्णु को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग एक डेढ़ साल पहले की है। नेतराम एक्सीडेंट में खत्म हो गया था। कार का नम्बर वह नहीं जानता है। मिण्ड की तरफ से आ रही थी। गाड़ी का चालक गाड़ी को बहुत स्पीड से चला रहा था। उक्त कार को विष्णु चला रहा था। वह विष्णु को जानता है। विष्णु ने उक्त कार चलाते हुए नेतराम में टक्कर मार दी थी, जिससे नेतराम की मृत्यु हो गई थी। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह व्यक्त किया है कि वह हाजिर अदालत आरोपी विष्णु को जानता है। इस प्रकार अंतराम अ0सा0 3 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में आरोपी विष्णु द्वारा कार को तेजी व

लापरवाही से चलाते हुए नेतराम में टक्कर मार दिया जाना बताया है तथा यह भी बताया है कि वह आरोपी विष्णु को जानता है, परंतु यह बात साक्षी अंतराम द्वारा अपने पुलिस कथन प्र०डी० 1 में नहीं बताई गई है। साक्षी अंतराम अ०सा० 3 के पुलिस कथन प्र०डी० 1 में आरोपी विष्णु द्वारा वाहन दुर्घटना कारित किए जाने का उल्लेख नहीं है। यदि वास्तव में साक्षी अंतराम अ०सा० 3 ने आरोपी विष्णु को नेतराम में टक्कर मारते हुए देखा था तो इस तथ्य का उल्लेख उक्त साक्षी के पुलिस कथन प्र०डी० 1 में अवश्य होता, परंतु प्र०डी० 1 में इस तथ्य का उल्लेख नहीं है कि आरोपी विष्णु ने गाड़ी को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए नेतराम में टक्कर मारी थी। ऐसी स्थिति में नेतराम अ०सा० 3 के कथन से यह दर्शित है कि उक्त साक्षी द्वारा पश्चातवर्ती प्रक्रम पर न्यायालय के समक्ष अपने कथनों में सुधार करते हुए कथन किया गया है एवं आरोपी विष्णु द्वारा वाहन दुर्घटना कारित करना बताया गया है। अंतराम अ०सा० 3 के कथनों से यही दर्शित होता है कि अंतराम अ०सा० 3 ने घटना के वक्त आरोपी को वाहन दुर्घटना कारित करते हुए नहीं देखा था। यदि वास्तव में उसने आरोपी को घटना करते हुए देखा होता तो उसके पुलिस कथन प्र०डी० 1 में अवश्य होता। ऐसी स्थिति में जबकि उसके पुलिस कथन प्र०डी० 1 में आरोपी विष्णु द्वारा वाहन दुर्घटना कारित करने का उल्लेख नहीं है साक्षी अंतराम अ०सा० 3 का यह कथन कि आरोपी विष्णु ने वाहन दुर्घटना कारित की थी विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता एवं नेतराम अ०सा० 3 के कथनों के आधार पर संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी आरोपित वाहन को चला रहा था।

20. जहां तक साक्षी विकाश तोमर अ०सा० 9 के कथन का प्रश्न है तो विकास तोमर अ०सा० 9 ने अपने कथन में यह बताया है कि वह आरोपी विष्णु को जानता है। आरोपी विष्णु उसके पिता हैं। वर्ष 2013 में उसके पास वैगनार क्रमांक एमपी 07 सीबी 1158 थी। उक्त गाड़ी चंदोखर में रहती थी, जिसे वे लोग चलाते थे, परंतु उक्त साक्षी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि दिनांक 17.05.13 को आरोपित वैगनार को कौन चला रहा था वह नहीं बता सकता। उसने पुलिस को प्र०पी० 13 का प्रमाणीकरण दिया था। इसके तुरंत पश्चात ही उक्त साक्षी ने यह भी बताया है कि पुलिस वालों ने उससे हस्ताक्षर करा लिए थे। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि दिनांक 17.05.13 को आरोपित कार को आरोपी विष्णु कुमार चला रहा था एवं इस सुझाव से भी इंकार किया है कि आरोपी विष्णु ने आरोपित वैगनार को लापरवाही से चलाते हुए एक्सीडेंट कर दिया था। उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसने उक्त संबंध में प्र०पी० 13 का प्रमाणीकरण पुलिस को दिया था। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने प्र०पी० 13 का प्रमाणीकरण पुलिस को नहीं दिया था। पुलिस ने उससे कोरे कागज पर हस्ताक्षर करा लिए थे।

21. इस प्रकार विकाश तोमर के कथनों से यह दर्शित है कि उक्त साक्षी के कथन अपने परीक्षण के दौरान अत्यंत विरोधाभासी रहे हैं। उक्त साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि उसने प्र०पी० 13 का प्रमाणीकरण पुलिस को दिया था। परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने उसने प्र०पी० 13 का प्रमाणीकरण पुलिस को नहीं दिया था। एवं यह भी स्वीकार किया है कि पुलिस ने उससे कोरे कागज पर हस्ताक्षर करा लिए थे। उक्त साक्षी ने इस तथ्य से इंकार किया है कि उक्त दिनांक को आरोपित कार को आरोपी

विष्णु चला रहा था एवं इस तथ्य से भी इंकार किया है कि आरोपी विष्णु ने उक्त कार को तेजी व लापरवाही से चलाकर वाहन दुर्घटना कारित की थी। इस प्रकार विकाश तोमर अ0सा0 9 ने प्र0पी0 13 का प्रमाणीकरण पुलिस को देने से इंकार किया है एवं इस तथ्य से भी इंकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपित कार को आरोपी विष्णु चला रहा था। इस प्रकार विकाश तोमर अ0सा0 9 के कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान अत्यंत विरोधाभासी रहे हैं। ऐसी स्थिति में विकाश तोमर अ0सा0 9 के कथन विश्वास योग्य नहीं हैं एवं विकाश तोमर अ0सा0 9 के कथनों से संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक को आरोपित कार को आरोपी विष्णु चला रहा था।

22. डॉ0 आलोक शर्मा अ0सा0 5 द्वारा मृतक नेतराम की शव परीक्षण रिपोर्ट प्र0पी0 8 को प्रमाणित किया है। सेवा निवृत्त आरक्षक रामकरन शर्मा अ0सा0 10 ने आरोपित वाहन क्रमांक एमपी 07 सीबी 1158 की मेकेनिकल जांच रिपोर्ट प्र0पी0 14 को प्रमाणित किया है एवं प्रधान आरक्षक ब्रजराज सिंह अ0सा0 8 ने प्र0पी0 1 की देहाती नालसी को प्रमाणित किया है एवं विवेचना को प्रमाणित किया है। उक्त सभी साक्षीगण प्रकरण के औपचारिक साक्षी हैं। प्रकरण में आई साक्ष्य को देखते हुए उक्त साक्षीगण की साक्ष्य का विश्लेषण किया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है।

23. उपरोक्त चरणों में की गई विवेचना से यह दर्शित है कि प्रकरण में फरियादी ए नश्याम अ0सा0 1, परमाल अ0सा0 2, ब्रजमोहन अ0सा0 4, श्रीमती सुनीता अ0सा0 6, राकेश अ0सा0 7 एवं भंवर सिंह अ0सा0 11 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया है। साक्षी अंतराम अ0सा0 3 एवं विकाश अ0सा0 9 के कथन भी अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान विरोधाभासी रहे हैं। शेष साक्षी डॉ0 आलोक शर्मा अ0सा0 5, प्रधान आरक्षक ब्रजमोहन अ0सा0 8 एवं सेवा निवृत्त आरक्षक रामकरन अ0सा0 10 प्रकरण के औपचारिक साक्षी हैं। उक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे संदेह से परे यह प्रमाणित होता हो कि घटना दिनांक को आरोपित कार क्रमांक एमपी 07 सीबी 1158 को आरोपी विष्णु चला रहा था एवं आरोपी विष्णु ने आरोपित कार को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाते हुए नेतराम में टक्कर मार कर उसे चोट पहुंचाकर उसकी आपराधिक मानव वध की श्रेणी में न आने वाली मृत्यु कारित की।

24. यह अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपी के विरुद्ध अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करे। यदि अभियोजन मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है तो संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित है।

25. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 17.05.13 को शाम 04:00 सुखराम बंजारे के घर के पास ग्राम बंजारे के पुरा में भिण्ड ग्वालियर हाईवे पर लोक मार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन वैगनार क्रमांक एमपी 07 सीबी 1158 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाते हुए मृतक नेतराम में टक्कर मारकर उसे चोट पहुंचाकर उसकी आपराधिक मानववध की श्रेणी में न आने वाली मृत्यु कारित की। फलतः यह न्यायालय आरोपी विष्णु कुमार को भा0द0सं0 की धारा 304-ए के आरोप से दोषमुक्त करती है।

8

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 310/2013 ईफौ

26 आरोपी पूर्व से जमानत पर है उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते है।

27. प्रकरण में जप्तशुदा वैगनार क्रमांक एमपी 07 सीबी 1158 पूर्व से उसके पंजीकृत स्वामी की सुर्पुदगी पर है। अतः उसके संबंध में सुर्पुदगीनामा अपील अवधि पश्चात निरस्त समझा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

स्थान – गोहद
दिनांक –15.05.2017

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।
कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

सही/—
(प्रतिष्ठा अवस्थी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

सही/—
(प्रतिष्ठा अवस्थी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)